संख्या-1058/2025/684/22-2-2023-17(1237)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2025*

विषय:- जिला कारागार बहराईच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हनीफ पुत्र श्री प्यारे, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार बहराईच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हनीफ पुत्र श्री प्यारे, ग्राम-दौण्डी, थाना-फखरपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 28.07.1980 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, कांता व चाकू से मारकर गुलाम रसूल नामक व्याक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-271/1980 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01, बहराइच के दण्डादेश दिनांक 06.07.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24.10.2016 द्वारा सजा को यथावत रखा गया, जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बहराइच द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 55 वर्ष, बन्दी द्वारा अपरिहार 06 वर्ष 06 माह 18 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 05 माह 06 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हनीफ (बन्दी संख्या-10/2017) पुत्र श्री प्यारे, निवासी जनपद-बहराइच की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1058/2025/684(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- अधीक्षक, जिला कारागार बहराइच।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in